न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) धौलपुर

पीठासीन अधिकारी — डॉ साधना शर्मा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 89 / 2023

1. राधेश्याम पुत्र श्री हरीशचन्द जाति वैश्य निवासी मनियां तहसील मनियां जिला धौलपुर
   ---- वादी

बनाम

1. गीतमसिंह पुत्र श्री गुलाबसिंह जाति लोधी निवासी मनियां तहसील मनियां जिला धौलपुर
2. छीतरिया पुत्र श्री गुलाबसिंह जाति लोधी निवासी मनियां तहसील मनियां जिला ...
3. त्रिलोकचंद पुत्र हरीशचन्द जाति वैश्य निवासी मनियां तहसील मनियां जिला ...
4. हेमसिंह पुत्र गुलाबसिंह जाति लोधी (लोधा) निवासी मनियां तहसील मनियां जिला धौलपुर
5. अलवर भरतपुर आंचलिक ग्रामीण बैंक हाल बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मनियां जिला धौलपुर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मनियां तहसील मनियां जिला धौलपुर
   ----- प्रतिवादीगण

दावा बटवारा काश्त व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत
धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक 30.06.2025

वादीगण ने विरूद्ध प्रतिवादीगण दिनांक 19.01.2021 को एक राजस्व वाद बाबत बटवारा काश्त व स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय में पेश किया। जो बाद तहकीकात दिनांक 14.02.2025 को प्रांरम्भिक रूप से डिकी किया गया, तथा तहसीलदार मनियां से विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये। तहसीलदार मनियां ने पत्रांक 458 दिनांक 14.05.2025 से विभाजन प्रस्ताव न्यायालय में प्रेषित किये है।

तहसीलदार मनियां के द्वारा प्राप्त हुए प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर वकील प्रतिवादी संख्या 3 ने इस आशय की आपत्ति पेश की है कि तहसीलदार मनियां द्वारा वादी को फायदा पहुँचाने की गरज से गलत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये है। इसलिए विभाजन प्रस्ताव निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

बहस आपत्ति कुर्रे सुनी गई। वकील प्रतिवादी संख्या 3 ने कथन किया कि तहसीलदार मनियां द्वारा भिजवाये गये विवादित आराजी के विभाजन प्रस्ताव में वादी को आराजी खसरा नम्बर 109 दिया गया है। जबकि आराजी खसरा नम्बर 110 प्रतिवादी संख्या 3 ने क्रय किया है, जो कि आराजी खसरा नम्बर 109 से लगा है। इसलिए आराजी खसरा नम्बर 109 प्रतिवादी को दिया जावे तथा वादी को आराजी खसरा नम्बर 108 दिया जावे।

वकील वादी ने कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 3 ने 110 आराजी क्रय नहीं कि बल्कि उसके खातेदार काश्तकार ने उसके पास रहन रखी है, तथा विवादित आराजी खसरा नम्बर 110 वाके ग्राम मनियां तहसील व जिला धौलपुर के वर्तमान में मायादेवी बगैरा जातिगण लोधा ... आराजी खसरा नम्बर 110 वर्तमान खातेदार काश्तकार का ही कब्जा है, तथा मौके पर ... काश्त है। प्रतिवादी संख्या 3 का उक्त आराजी से कोई संबंध सारोकार नहीं है। तहसीलदार मनियां द्वारा तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव नियमानुसार है। इसलिए दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई, वकील प्रतिवादी संख्या 3 ने अपनी आपत्ति को ... को दोहराते हुए कथन किया है कि तहसीलदार मनियां द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव में प्रतिवादी संख्या 3 को आराजी खसरा नम्बर 108 / 2 दिया है, जबकि वह खसरा नम्बर 109 को चाहते है क्योंकि उन्होंने आराजी खसरा नम्बर 110 जो कि आराजी खसरा नम्बर 109 से लगी है, को ...

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)

किया है। इसलिए विभाजन प्रस्ताव निरस्त करते हुए पुनः विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने की प्रार्थना की है। वकील वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक विलंब करना चाहता है, इसलिए आपत्ति पेश कर रहा है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 110 के वर्तमान खातेदार माया वगैरा जातिगण लोधा है, रामकुमार जो कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 110 में 1/3 भाग का खातेदार है ने प्रतिवादी संख्या 3 जो कि वादी का भाई है, को जमीन रहन रखी उसी विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी संख्या 3 विवादित आराजी का बंटवारा नहीं कराने देना चाहता है। इसलिए मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस का मनन किया एवं तहसीलदार मनियां से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातों का अवलोकन किया, विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है, कि कि विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय वादी एवं प्रतिवादीगण को राजस्व रिकार्ड में दर्ज उनके हिस्से अनुसार हिस्सा प्रदान किया गया है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 110 के वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आराजी के खातेदार काश्तकार मायादेवी, रामकुमार व वीरेन्द्रकुमार जातिगण लोधा है, और मौके पर खातेदार काश्तकार है। मूल वाद विवादित आराजी खसरा नम्बर 107, 108, 109 बाकै ग्राम मनियां तहसील मनियां जिला धौलपुर के बंटवारे हेतु विचाराधीन है। इस प्रकार तहसीलदार मनियां द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में दर्ज पक्षकारों के दर्ज हिस्से अनुसार ही है। ऐसी स्थिति में न्यायालय आपत्ति प्रतिवादी संख्या 3 खारिज करते हुए दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिकी किया जाना न्यायोचित समझते है।

अतः आदेश है कि दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर पक्षकारों को विवादित आराजी खसरा नम्बर 107, 108, 109 स्थिति ग्राम मनियां तहसील व जिला धौलपुर में निम्नानुसार पृथक– पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:–

खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकवा
1. राधेश्याम पुत्र हरीशचंद जाति वैश्य	109	0.1897है0
सा. देह खातेदार	108/1	0.0158है0
2. त्रिलोकचंद पुत्र हरीशचंद जाति वैश्य	108/2	0.1739है0
सा. देह खातेदार	107/1	0.0316है0
3. गीतमसिंह, छीतरिया व हेमसिंह पुत्रान गुलाबसिंह जाति लोधा निवासी मनियां हिस्सा बराबर खातेदार	107/2	0.4110है0

कुल किता 5 रकवा 0.8220 हैक्टेयर बाकै ग्राम मनियां तहसील व जिला धौलपुर।

उपरोक्तानुसार ही पक्षकारों के खाते एवं लगान पृथक– पृथक कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। विवादित आराजी के कुल लगान के बीस गुना राशि पर देय मुद्रांक कर के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिकी जारी हो पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 30.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर मुख्यालय धौलपुर (राज0)

(डॉ साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)

प्रारम्भिंक डिकी व मुकदमे इब्तदाई

अज अदालत : सहायक कलक्टर (मुख्यालय) धौलपुर
व इजलास : **डॉ. साधना शर्मा** (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या : 89 / 2023

1. राधेश्याम पुत्र श्री हरीशचन्द्र जाति वैश्य निवासी मनियां तहसील मनियां जिला धौलपुर
.................................वादी

बनाम

1. गीतमसिंह पुत्र श्री गुलाबसिह जाति लोधा निवासी मनियां तहसील मनियां जिला धौलपुर
2. छीतरिया पुत्र श्री गुलाबसिह जाति लोधा निवासी मनियां तहसील मनियां जिला धौलपुर
3. त्रिलोक चंद पुत्र हरीशचन्द्र जाति वैश्या निवासी मनियां तहसील मनियां जिला धौलपुर
4. हेमसिंह पुत्र श्री गुलाबसिह जाति लोधा निवासी मनियां तहसील मनियां जिला धौलपुर
5. अलवर भरतपुर आंचलिक ग्रामीण बैंक हाल बडौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा मनियां जिला धौलपुर राज0
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मनियां तहसील मनियां जिला धौलपुर

(वाद अधीन धारा 53, 188 आरटीए)

आज यह मुकदमा इनफिसाल कतई रूबरू मुझ डॉ. साधना शर्मा (आर.ए.एस.) व हाजिरी मिनजानिव मुद्दई श्री देवेन्द्र कुलश्रेष्ठ एडवोकेट मिनजानिव मुद्दयालह श्री +++++ एडवोकेट पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि दावा वादी प्रारम्भिक डिकी किया जाता है। एवं तहसीलदार मनियां को विवादित आराजी खसरा नम्बर 107, 108, 109 बाकै ग्राम मनियां तहसील मनियां जिला धौलपुर के राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 के तहत वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज पक्षकारों के हिस्से अनुसार उभयपक्ष की उपस्थिति में बाई मीट्स एण्ड वाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के आदेश दिये जाते है।

वशब्द मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 14.02.2025 को जारी की गई।

(डॉ. साधना शर्मा)
सहायक कलक्टर(मु0)
धौलपुर

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

BV 463939

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

अज़ अदालत : सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर

व इजलास : डॉ साधना शर्मा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 89 / 2023

1. राधश्याम पुत्र श्री हरीशचन्द जाति वैश्य निवासी मनियां तहसील मनियां जिला धौलपुर
--- वादी

बनाम

1. गीतमसिंह पुत्र श्री गुलाबसिंह जाति लोधी निवासी मनियां तहसील मनियां जिला धौलपुर
2. छातरिया पुत्र श्री गुलाबसिंह जाति लोधी निवासी मनियां तहसील मनियां जिला धौलपुर
3. तिलाकचंद पुत्र हरीशचन्द जाति वैश्य निवासी मनियां तहसील मनियां जिला धौलपुर
4. हेतसिंह पुत्र गुलाबसिंह जाति लोधी (लोधा) निवासी मनियां तहसील मनियां जिला धौलपुर
5. अलवर भरतपुर आंचलिक ग्रामीण बैंक हाल बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मनियां जिला धौलपुर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मनियां तहसील मनियां जिला धौलपुर

---- प्रतिवादीगण

दावा बटवारा काश्त व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट

आज यह मुकदमा इनफिसाल कतई रूबरू मुझ साधना शर्मा (आर.ए.एस) व हाजिरी श्री देवेन्द्र कुलश्रेष्ठ एडवोकेट मिनजानिब मुददई एवं श्री रिपुदमन सिंह एडवोकेट

उपखण्डाधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)

मिनजानिव मुद्‌यालह ने पेश होकर हुक्म दिया जाता है, कि दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर पक्षकारों को विवादित आराजी स्थिति ग्राम मनियां तहसील मनियां जिला धौलपुर में निम्नानुसार पृथक– पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकवा
1. राधेश्याम पुत्र हरीशचंद जाति वैश्य	109	0.1897है0
सा. देह खातेदार	108/1	0.0158है0
2. त्रिलोकचंद पुत्र हरीशचंद जाति वैश्य	108/2	0.1739है0
सा. देह खातेदार	107/1	0.0316है0
3. गीतमसिंह, छीतरिया व हेमसिंह पुत्रान गुलाबसिंह जाति लोधा निवासी मनियां हिस्सा बराबर खातेदार	107/2	0.4110है0

कुल किता 5 रकवा 0.8220 हैक्टेयर बाकै ग्राम मनियां तहसील व जिला धौलपुर।

उपरोक्तानुसार ही पक्षकारों के खाते एवं लगान पृथक– पृथक कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है।

वशब्द मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से निर्णय दिनांक 30.6.2025 के संदर्भ में आज दिनांक 22.07.2025 को ज़ारी की गई।

(डॉ साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर मु0
धौलपुर

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)